न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –673 / 2023

अनवान : –

1. श्योपत कुमार पुत्र बुधराम जाति नायक साकिन 2 केएसपी तहसील टिब्बी तहसील जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र कृष्णलाल जाति नायक साकिन 2 केएसएपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– **वादीगण**

बनाम्

1. बुधराम पुत्र माला उर्फ पूर्णराम जाति नायक निवासी 2 केएसएपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मनीराम पुत्र माला उर्फ पूर्णराम जाति नायक निवासी 2 केएसएपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. देवीलाल पुत्र माला उर्फ पूर्णराम जाति नायक निवासी 2 केएसएपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. चुन्नीराम पुत्र माला उर्फ पूर्णराम जाति नायक निवासी 2 केएसएपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. राजोदेवी पुत्री माला उर्फ पूर्णराम जाति नायक निवासी 2 केएसएपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. मन्नीदेवी उर्फ सन्तोष देवी माला उर्फ पूर्णराम जाति नायक निवासी 2 केएसएपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. सोना देवी पत्नी माला उर्फ पूर्णराम जाति नायक निवासी 2 केएसएपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. मैना देवी पुत्री बुधराम पत्नी महेन्द्र जाति नायक साकिन 2 केएसपी तहसील टिब्बी हाल निवास चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. इमरतीदेवी पुत्री बुधराम पत्नी इन्द्राज साकिन 2 केएसपी तहसील टिब्बी हाल निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. राकेश पुत्र स्व0 कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 2 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. चावलीदेवी उर्फ चन्दोदेवी पत्नी स्व0 कृष्णलाल जाति नायक साकिन 2 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. सिलोचना पुत्री कृष्णलाल पत्नी लालचन्द जाति नायक साकिन 2 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी चक 9 केएसएन तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. शारदा पुत्री कृष्णलाल पत्नी लिलूराम जाति नायक साकिन 2 केएसपी तहसील टिब्बी हाल निवास चक 9 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:07:32 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित: [illegible] जयसिंह कड़वासरा [illegible]ता **वादी**

पे[illegible]र राज

निर्णय दिनांक: 01/05/26

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077—2080 के खाता स0 104/109 की कुल 2.7310 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 84/71 की कुल 6.7910 हैक्ट भूमि में से 467/6791 हिस्सा भूमि माला पुत्र रावता/रावताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में माला पुत्र रावताराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है वादी के दादा माला का देहान्त हेा चुका है माला के जायज वारिस पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 13 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण स0 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 व प्रतिवादी स0 10 के पक्ष में एवं प्रतिवादी स0 8 व 9 ने अपना हक हिस्सा वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 पक्ष में परित्याग कर दिया गया है। प्रतिवादी स0 11 व 13 ने अपना हक हिस्सा वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 10 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 बहिब 1/5 हिस्सा के तथा वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 10 बहिब 1/5 हिस्सा के एवं प्रतिवादी स0 2 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी स0 3 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी स0 4 अकेला 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 13 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण माला पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण [illegible] कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया [illegible] जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:07:32 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में माला पुत्र रावताराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है वादी के दादा माला का देहान्त हेा चुका है माला के जायज वारिस पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 13 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण स0 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 व प्रतिवादी स0 10 के पक्ष में एवं प्रतिवादी स0 8 व 9 ने अपना हक हिस्सा वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 पक्ष में परित्याग कर दिया गया है। प्रतिवादी स0 11 व 13 ने अपना हक हिस्सा वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 10 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 बहिब 1/5 हिस्सा के तथा वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 10 बहिब 1/5 हिस्सा के एवं प्रतिवादी स0 2 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी स0 3 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी स0 4 अकेला 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 104/109 की कुल 2.7310 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 84/71 की कुल 6.7910 हैक्ट भूमि में से 467/6791 हिस्सा भूमि माला पुत्र रावता/रावताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में माला पुत्र रावताराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है वादी के दादा माला का देहान्त हेा चुका है माला के जायज वारिस पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 13 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण स0 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 व प्रतिवादी स0 10 के पक्ष में एवं प्रतिवादी स0 8 व 9 ने अपना हक हिस्सा वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 पक्ष में परित्याग कर दिया गया है। प्रतिवादी स0 11 व 13 ने अपना हक हिस्सा वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 10 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 बहिब 1/5 हिस्सा के तथा वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 10 बहिब 1/5 हिस्सा के एवं प्रतिवादी स0 2 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी स0 3 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी स0 4 अकेला 1/5 हिस्सा भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:07:32 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान एवं सदस्य प्रमाण पत्र के के अलावा लाधुराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 104/109 की कुल 2.7310 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 84/71 की कुल 6.7910 हैक्ट भूमि में से 467/6791 हिस्सा भूमि उक्त दोनो खातों मे माला पुत्र रावताराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 को बहिब 1/5 हिस्सा के तथा वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 10 को बहिब 1/5 हिस्सा के एवं प्रतिवादी स0 2 को 1/5 हिस्सा का तथा प्रतिवादी स0 3 को 1/5 हिस्सा का एवं प्रतिवादी स0 4 को 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:07:32 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या —673 / 2023

अनवान : —

1. श्योपत कुमार पुत्र बुधराम जाति नायक साकिन 2 केएसपी तहसील टिब्बी तहसील जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र कृष्णलाल जाति नायक साकिन 2 केएसएपी तहसील टिब्बी।

— वादीगण

बनाम्

1. बुधराम पुत्र माला उर्फ पूर्णराम जाति नायक निवासी 2 केएसएपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मनीराम पुत्र माला उर्फ पूर्णराम जाति नायक निवासी 2 केएसएपी तहसील टिब्बी ।
3. देवीलाल पुत्र माला उर्फ पूर्णराम जाति नायक निवासी 2 केएसएपी तहसील टिब्बी।
4. चुन्नीराम पुत्र माला उर्फ पूर्णराम जाति नायक निवासी 2 केएसएपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. राजोदेवी पुत्री माला उर्फ पूर्णराम जाति नायक निवासी 2 केएसएपी तहसील टिब्बी।
6. मन्नीदेवी उर्फ सन्तोष देवी माला उर्फ पूर्णराम जाति नायक निवासी 2 केएसएपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. सोना देवी पत्नी माला उर्फ पूर्णराम जाति नायक निवासी 2 केएसएपी तहसील टिब्बी।
8. मैना देवी पुत्री बुधराम पत्नी महेन्द्र जाति नायक साकिन 2 केएसपी तहसील टिब्बी हाल निवास चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. इमरतीदेवी पुत्री बुधराम पत्नी इन्द्राज साकिन 2 केएसपी तहसील टिब्बी हाल निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. राकेश पुत्र स्व0 कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 2 केएसपी तहसील टिब्बी।
11. चावलीदेवी उर्फ चन्दोदेवी पत्नी स्व0 कृष्णलाल जाति नायक साकिन 2 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. सिलोचना पुत्री कृष्णलाल पत्नी लालचन्द जाति नायक साकिन 2 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी चक 9 केएसएन तहसील टिब्बी।
13. शारदा पुत्री कृष्णलाल पत्नी लिलूराम जाति नायक साकिन 2 केएसपी तहसील टिब्बी हाल निवास चक 9 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 673 सन 2023 निर्णय दिनांक 01/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077—2080 के खाता स0 104 / 109 की कुल 2.7310 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 84 / 71 की कुल 6.7910 हैक्ट भूमि में से 467 / 6791 हिस्सा भूमि उक्त दोनो खातों मे माला पुत्र रावताराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 1 को बहिब 1 / 5 हिस्सा के तथा वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 10 को बहिब 1 / 5 हिस्सा के एवं प्रतिवादी स0 2 को 1 / 5 हिस्सा का तथा प्रतिवादी स0 3 को 1 / 5 हिस्सा का एवं प्रतिवादी स0 4 को 1 / 5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते [illegible] के संलग्न 500 / — रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भू[illegible] है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का [illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे [illegible] अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 0[illegible]5/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:07:32 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर